न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 09/2025 दायर दिनांकः 03.02.2025

उनवान

1. हिम्मत सिंह आयु 52 वर्ष पुत्र नन्द सिंह जाति राजपूत निवासी मूंडला तहसील अटरु जिला बारां (राज.) मो. 9461709896

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :–
प्रार्थिया :–विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव द्वितीय
अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः–23.07.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के वाके ग्राम एवं माल मूंडला तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में आराजी खाता संख्या 235 का खसरा नं. 1394/751 का रकबा 0.48 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.48 हैक्टर आराजी स्थित है। इसी प्रकार ग्राम/माल मूंडला की आराजी खाता संख्या 236 का खसरा नं. 730 का रकबा 0.29 हैक्टर आराजी स्थित है। इसी प्रकार ग्राम/माल मूंडला की आराजी खाता संख्या 237 का खसरा नं. 1089/1370 का रकबा 0.12 है0, खसरा नं. 1092 का रकबा 0.20 है0, खसरा नं. 1096 का रकबा 0.60 हैक्टर कुल किता 3 का रकबा 0.92 हैक्टर आराजी स्थित है। उक्त तीनो खातों की नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजीयात में खातेदार युवराज सिंह प्रार्थी के पिता है जिनका नाम उक्त वर्णित आराजीयात में नन्द सिंह के स्थान पर युवराज सिंह दर्ज हो गया है जो कि गलत अंकित है। जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम नन्द सिंह है जो कि उनके आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक डायरी, राशन कार्ड आदि दस्तावेजो में भी नन्द सिंह नाम ही दर्ज है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास दिनांक 26/05/2024 को हो चूका है। उक्त समस्त

दस्तावेजात व मृत्यु प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को प्रार्थी दुरुस्त करवा कर अपने पिता का नाम युवराज सिंह के स्थान पर नन्द सिंह दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थी के पिता का नाम युवराज सिंह कर देने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम भिन्न भिन्न होने से प्रार्थी नामान्तरण दर्ज नहीं करवा पा रहा है और कृषि योजनाओं इत्यादि का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी। प्रार्थना पत्र पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटि को प्रार्थी दुरुस्त करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है। अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम/माल मूंडला तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम/माल मूंडला तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में प्रार्थी के पिता का नाम नन्द सिंह के स्थान पर युवराज सिंह दर्ज करने अथवा विकल्प में नन्द सिंह उर्फ़ युवराज सिंह दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/585 दिनांक 11.03.2025 से रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट तहसीलदार अवलोकन किया गया। रिपोर्ट स्पष्ट नही होने से तहसीलदार अटरू से पुनः रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/2512 दिनांक 14.07.2025 से रिपोर्ट पेश की गई तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मूण्डला सम्वत 2074–77 खाता संख्या 235, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल

मूण्डला सम्वत 2074–77 खाता संख्या 236, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मूण्डला सम्वत 2074–77 खाता संख्या 237, शपथ पत्र हिम्मत सिंह, शपथ पत्र शिवदान, शपथ पत्र करण सिंह, मृत्यु प्रमाण पत्र नन्द सिंह, आधार कार्ड नन्दसिंह, परिवार राशन कार्ड नंदसिंह उर्फ युवराज, बैंक डायरी बैंक ऑफ बडौदा नन्दसिंह, पेंशन पी.पी.ओ. आदेश नन्दसिंह, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, जिला परिषद सदस्य वार्ड नं0 9 जिला परिषद बारां प्रमाण पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत पटना प्रमाण पत्र, पट्टा गैर खातेदारी मजरिया तहसील अटरू, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम मूण्डला, पर्चा लगान ग्राम मूण्डला दिनांक 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 ई0 खसरा नं0 730 व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम व माल मूण्डला की आराजी खाता संख्या 236 के ख0नं0 730 का रकबा 0.29 है0 हिस्सा पूर्ण, खाता संख्या 235 का ख0नं0 1394/751 रकबा 0.48 है0 हिस्सा पूर्ण, खाता संख्या 237 के खसरा नं. 1089/1370 का रकबा 0.12 है0, खसरा नं. 1092 का रकबा 0.20 है0, खसरा नं. 1096 का रकबा 0.60 हैक्टर कुल किता 3 का रकबा 0.92 हैक्टर हिस्सा पूर्ण युवराज सिंह पुत्र विजयसिंह के नाम दर्ज है। ग्रामवासियों के बताये अनुसार युवराज सिंह नाम का ग्राम मूण्डला में आदमी नही है। मुताबिक कब्जा काश्त शुरू से नन्दसिंह ही करते आ रहे है। ग्रामवासियों ने बताया कि हिम्मत सिंह के पिता का सही नाम नन्दसिंह है। सेटलमेंट जमाबन्दी एवं वर्तमान जमाबन्दी में युवराजसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत नाम खाते दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 खाता संख्या 237 में सहखातेदार करण सिंह पुत्र विजयसिंह जो कि प्रार्थी के पिता का सगा भाई है, ने भी युवराजसिंह का नाम नन्दसिंह होना स्वीकार किया है व सरपंच ग्राम पंचायत पटना के आधार पर भी नन्दसिंह व युवराज सिंह दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम मूण्डला में युवराज सिंह नाम का कोई व्यक्ति नही है तथा उक्त आराजी पर नन्दसिंह ही काश्त करते चले आ रहे है तथा हिम्मत सिंह के पिता का सही नाम नन्दसिंह है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल मूण्डला पटवार हल्का पटना तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 235 का खसरा नं. 1394/751 का रकबा 0.48 है0, ग्राम एवं माल मूण्डला पटवार हल्का पटना तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 236 का खसरा नं. 730 का रकबा 0.29 है0 व ग्राम एवं माल

मूण्डला पटवार हल्का पटना तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 237 का खसरा नं. 1089/1370 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 1092 का रकबा 0.20 है0 व ख0नं0 1096 का रकबा 0.60 है कुल किता 3 का रकबा 0.92 है0 आराजी में सह खातेदार युवराजसिंह पुत्र विजयसिंह के स्थान पर नन्द सिंह उर्फ युवराज सिंह पुत्र विजयसिंह किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल मूण्डला पटवार हल्का पटना तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 235 का खसरा नं. 1394/751 का रकबा 0.48 है0, ग्राम एवं माल मूण्डला पटवार हल्का पटना तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 236 का खसरा नं. 730 का रकबा 0.29 है0 व ग्राम एवं माल मूण्डला पटवार हल्का पटना तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 237 का खसरा नं. 1089/1370 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 1092 का रकबा 0.20 है0 व ख0नं0 1096 का रकबा 0.60 है कुल किता 3 का रकबा 0.92 है0 आराजी में सह खातेदार युवराजसिंह पुत्र विजयसिंह के स्थान पर नन्द सिंह उर्फ युवराज सिंह पुत्र विजयसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू को भी भिजवायी जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां